रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2003 REGISTERED No. DL—33001/2003

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 2003 (आषाढ़ 7, 1925)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 2003 (ASADHA 7, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुंबई, दिनांक 17 जून 2003

सं. एसबीडी क्र. 2/2003--एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक डा. सुशीला राव के स्थान पर श्री एस. सूर्यनारायन, हाउस नं. 1-11-212/3, फ्लैट नं. 102, लेन नं. 2, स्ट्रीट नं. 4, गुरुमूर्ति लेन, अन्नपूर्णा प्रभात कुसुम काम्प्लेक्स, प्रकाश नगर टेलीफ़ोन एक्सचेंज के पास, बेगमपेट, हैदराबाद-500 016 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 20 जून 2003 से 19 जून 2006 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

ए. के. पुरवार
अध्यक्ष

एसबीडी.क्र. 3 / 2003

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक डा. के.पी. रामा प्रसन्ना के स्थान पर डा. एम. महादेव, एसोसिएट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकॉनॉमिक चेंज (आईएसईसी), बेंगलूर - 560 072 को स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 20 जून 2003 से 19 जून 2006 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है ।

(ए.के. पुरवार)

अ ध्य क्ष

एसबीडी.क्र. 4 / 2003

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री बी.पी. राव के स्थान पर श्री नानू आर. मल्लया, नं. 5, सिल्वर पार्क रोड, फोर्थ क्रास, मल्लेस्वरम, बेंगलूर - 560 003 को स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 20 जून 2003 से 19 जून 2006 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है ।

(ए.के. पुरवार)

अ ध्य क्ष

एसबीडी.क्र. 5/ 2003

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री ए.एस.एन. मूर्ति के स्थान पर श्री वी.विनोद कामथ, फ्लैट नं.ए-1, इन्द्रधनुष अपार्टमेंट, टी.डी.रोड, कोचि - 682 035 को स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 20 जून 2003 से 19 जून 2006 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है ।

(ए.के. पुरवार)

अ ध्य क्ष

एसबीडी.क्र. 6 / 2003

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25 की उप धारा (1) के खंड (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री वी.के. माधव मोहन के स्थान पर प्रो. वी.एन. राजशेखरन पिल्लै, कार्यपालक निदेशक, नेशनल असेसमेन्ट एण्ड एक्रिडिटेशन काउंसिल (एन.ए.ए.सी.), 2/4, डा. राजकुमार रोड, पी.ओ. बाक्स नं. 1075, राजाजी नगर, बेंगलूर - 560 010 को स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 20 जून 2003 से 19 जून 2006 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है ।

(ए.के. पुरवार)

अ ध्य क्ष

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय,

मुम्बई -400021

सं. केका:कार्मिक:औसंनी:2003-04 :212 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा 2 के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मण्डल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमों में संशोधन करके एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) ये विनियम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2003 कहलाएंगे।

(2) इन विनियमों में अन्यथा उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में,

(i) विनियम 4 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(3)" 1 अप्रैल, 1998 से, प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित वेतनमान निम्नलिखित अनुसार होगा :-

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII रु.19340-420-20180-520-20700-600-21300
2 1 1

वेतनमान VI रु.17660-420-19340
4

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V रु.16140-380-17660
4

वेतनमान IV रु.13900-340-14240-380-16140
1 5

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III रु.12540-340-14240-380-15000
5 2

वेतनमान II रु.9820-340-13560
11

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I रु.7100-340-12540
16

टिप्पणी :

31.3.1998 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियतन 1.4.1998 को इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा, अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुरूपी प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियाँ, अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर, सामान्यतया अधिवर्षिता तारीख को होंगी।

(4) उप-विनियम (1), (2) और (3) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।

(ii) विनियम 5 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5. **वेतनवृद्धियां** : विनियम 4 के उप-विनियम (3) के उपबंधों के अधीन, 1.4.1998 को और उस तारीख से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उप-खंडों के अधीन मंजूर की जाएंगी :-

(क) विनियम 4 में उपवर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी।

(ख) वेतनमान I और II के अधिकारियों को, अपने सम्बन्धित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि(यों) सहित आगे की वेतनवृद्धियां नीचे (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जाएंगी, बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर लें।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा III के अधिकतम पर पहुंचने वाले अधिकारियों को, यथास्थिति, वेतनमान II तथा III के अंतिम प्रक्रम पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि(यां) दी जाएगी/जाएंगी। वेतनमान II के अंतिम प्रक्रम पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रु.340/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएंगी तथा वेतनमान III के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु.380/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।

परंतु 01.11.1994 को और उसके बाद से, मूल वेतनमान III के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान III में भरती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात् प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी :

अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा। ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान II तथा III के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे।

(2) सीएआइआइबी का भाग I/भारतीय बैंकर संस्थान की जूनियर एसोसिएट तथा भाग II/भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण

(क) जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी.ए.आई.आई.बी.) परीक्षा का भाग I या भाग II उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी, बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई

वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो।

(ख) 01.11.1987 को तथा उसके बाद से, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन, यदि कोई हों, सी.ए.आई.आई.बी. परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा:

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है	(I) एक वर्ष पश्चात् रु.100/- प्रति माह जिसमें से रु.75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।
जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(I) एक वर्ष पश्चात् रु.100/- प्रति माह जिसमें से रु.75/-अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।
	(II) दो वर्ष पश्चात् रु.250/- प्रति माह जिसमें से रु.200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।

(ग) 1.11.1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित रहेंगी :

जिन्होंने सी.ए.आई.आई बी. का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है	(I) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु.120/- प्रति माह।
जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(I) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु.120/- प्रति माह। (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् रु.300/- प्रति माह।

परंतु, विनियम 5(3) (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, व्यावसायिक अर्हता भत्ता, यथास्थिति, क्रमशः भाग I या II के लिए ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे।

(घ) 1.11.1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भुगतान की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित रहेंगी:

जिन्होंने जे.ए.आई.आई.बी. या सी ए आई आई बी का भाग I उत्तीर्ण किया है	(I) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् रु.150/- प्रतिमाह।
जिन्होंने जे.ए.आई.आई.बी. और सी ए आई आई बी या सी ए आई आई बी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(I) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के के एक वर्ष पश्चात् रु.150/- प्रतिमाह। (II) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात् रु.360/- प्रतिमाह।

परंतु, जो अधिकारी वेतनमान I और वेतनमान II में हैं तथा उन्हें उप-विनियम (1) (ख) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धियां मंजूर की गई हैं, ऐसे उच्चतर वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के, यथास्थिति, एक/दो वर्ष पश्चात् व्यावसायिक अर्हता भुगतान प्राप्त करेंगे।

टिप्पणी :

(i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भुगतान मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक जे.ए.आई.आई.बी/सी.ए.आई.आई.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं हैं तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भुगतान पाने का पात्र होगा।

(ii) 01.11.1994 को तथा उसके बाद से, यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता भुगतान को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।

(3) (क) जो अधिकारी 01.11.1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी। जो अधिकारी 01.11.1993 को परिवीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी।

टिप्पणी :

अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 01.11.1993 को अवरोध वेतनवृद्धि(यां) प्राप्त कर चुका है, वह 01.11.1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 01.11.1993 को देय महंगाई भत्ता, तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा। यहां नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही साथ महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, संपूर्ण अवधि के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

वेतनवृद्धि घटक	01.11.1993 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क) रु.	(ख) रु.	(ग) रु.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.06	411

(ग) 1 नवम्बर, 1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, नियत वैयक्तिक वेतन, मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, सहित निम्नानुसार दिया जाएगा :-

वेतनवृद्धि घटक	01.11.1997 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क) रु.	(ख) रु.	(ग) रु.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

टिप्पणी :

(i) खंड (ख) और (ग) में कॉलम (ग) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक भुगतान उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक भुगतान विनियम 4 के उप-विनियम (2) और (3) में विनिर्दिष्टानुसार सम्बंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर, (अ) + (आ) + सम्बद्ध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा।

(iii) 1 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद से, नियत वैयक्तिक भुगतान देने के कारण उप-विनियम (2) के अधीन स्पष्टीकरण के अनुसार व्यावसायिक अर्हता भुगतान करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

परंतु, जहां व्यावसायिक अर्हता भुगतान भी कोई किस्त, जो पूर्व के प्रावधानों के कारण एक वर्ष तक बकाया दी गई थी और 1 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद जारी की जाने वाली है, अधिकारी को इस तारीख को या से दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता भुगतान, यदि कोई हो, की दूसरी किस्त 1 नवम्बर, 2000 को दी जाएगी।

(iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक भुगतान के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभ के लिए गिना जाएगा।

(घ) जिस अधिकारी को उपर्युक्त (क) के अनुसार वेतनवृद्धि मिल चुकी है उसे ऊपर (ख) या (ग) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक भुगतान की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होगी।

(iii) विनियम 21 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

"(3) 01.04.1998 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी -

(क) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 1684 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा।

(ख) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(I) रु.7100/- तक 'वेतन' का 0.24% तथा (+)

(II) रु.7100/- से अधिक परंतु रु.11300/- तक 'वेतन' का 0.20% तथा (+),

(III) रु.11300/- से अधिक परंतु रु.12025/- तक 'वेतन' का 0.12% तथा (+),

(iv) रु.12025/- से ऊपर 'वेतन' का 0.06%.

टिप्पणी :

(अ) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(आ) विनियम 5 के उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग) और (घ) में निर्दिष्टानुसार, व्यावसायिक अर्हता भत्ते/व्यावसायिक अर्हता भुगतान को महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा।",

(iv) विनियम 22 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :

"22 मकान किराया भत्ता -

"(क) 01.11.1994 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को सैक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 4% के

बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(ख) 01.11.1992 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :

	स्तंभ I	स्तंभ II
	कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(i)	सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 13% प्रतिमाह
(ii)	क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% प्रतिमाह
(iii)	क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 10.5% प्रतिमाह
(iv)	क्षेत्र III	वेतन का 9.5% प्रतिमाह

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 4% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ II के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो, होगा।

(2)(क) 1 नवम्बर, 1999 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उससे प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 2.5% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(ख) 01.11.1999 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा।

	स्तंभ I	स्तंभ II
	कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	**देय मकान किराया भत्ता**
(i)	सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 9% प्रतिमाह
(ii)	क्षेत्र I के स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8% प्रतिमाह
(iii)	क्षेत्र II अर्थात् उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले सभी स्थान	वेतन का 7% प्रतिमाह

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 2.5% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ II के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो देय होगा।

टिप्पणी :

(i) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(ii) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु, यथास्थिति, व्यावसायिक अर्हता भत्ते या व्यावसायिक अर्हता भुगतान को 01.11.1994 से प्रभावी गिना जाएगा।

(3) यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता है तो उसे उप-विनियम (1) (ख) और (2) (ख) में उल्लिखित परंतुक के आधार पर इस प्रकार मकान किराया भत्ता मिलेगा मानो वह नीचे 'अ' अथवा 'आ' में से उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर मासिक किराया दे रहा हो।

'अ'

निम्नलिखित का योग :

(i) निवास स्थान के लिए देय नगरपालिका कर, और

(ii) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूंजीगत लागत का 12% और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उतने भाग की भूमि के आनुपातिक हिस्से की पूंजीगत लागत, किंतु इसके अंतर्गत यातानुकूल जैसे विशेष जुड़नार शामिल नहीं होंगे; या

'आ'

निवास स्थान के लिए नगरपालिका कर निर्धारण हेतु आंका गया वार्षिक किराया मूल्य।

स्पष्टीकरण

(1) इस विनियम के प्रयोजन हेतु 'मानक किराया' से अभिप्रेत है :

(क) बैंक के स्वामित्व वाले निवास स्थानों के मामले में सरकार में ऐसे निवास स्थानों के संबंध में प्रचलित पद्धति के अनुसार आंका गया मानक किराया,

(ख) जहां आवास बैंक द्वारा किराए पर लिया गया हो, बैंक द्वारा देय संविदागत किराया अथवा उपर्युक्त (क) में बताई गई कार्यविधि के अनुसार परिकलित किराया, इनमें से जो भी कम हो।

(2) इस विनियम में, उप-विनियम (1) के प्रयोजन हेतु, क्षेत्र I , क्षेत्र II और क्षेत्र III से अभिप्राय है :

क्षेत्र I - 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

क्षेत्र II - ऊपर क्षेत्र I के अलावा अन्य सभी शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख और उससे अधिक है

क्षेत्र III - क्षेत्र I और क्षेत्र II में शामिल न किये गये अन्य सभी स्थान।

(3) इस विनियम और विनियम 23 के उप-विनियम (2) के प्रयोजन हेतु, क्षेत्र I और क्षेत्र II से निम्न अभिप्राय है:-

क्षेत्र I - 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान।

क्षेत्र I - वे सभी स्थान जो क्षेत्र I में शामिल नहीं किए गए हैं;"

(v) विनियम 23 में,

(क) खंड (i) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) 01.11.1999 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित सारणी के स्तंभ I में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो तो वह उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा :

स्थान 1		दर 2
(क)	क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4% अधिकतम रु.375/- प्रतिमाह
(ख)	5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते।	मूल वेतन का 3% अधिकतम रु.250/- प्रतिमाह

(ख) खंड (v) और (vi) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(v) 01.11.1999 को उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन सभी परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है। विकल्पतः, वह अपने वेतन के अतिरिक्त 7.75%, अधिकतम रु.1000/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते।

परंतु, यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4%, अधिकतम रु.500/-, प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

परंतु यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में, प्रतिनियुक्त किया जाता है, उसे उसके वेतन का 4%, अधिकतम रु.500/-, प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

(vi) 01.11.1999 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी से कम से कम 7 दिन लगातार या किसी कैलेण्डर महीने के दौरान कुल सात दिन किसी उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य लिया जाता है तो उसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अवधि के लिए, यथानुपात, उसके वेतन का 6% स्थानापन्न भत्ता मिलेगा। स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि/पेंशन के लिए हिसाब में लिया जाएगा किंतु अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं।

परंतु, यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के मात्र पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप में कार्य करता है तो उसे प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ता नहीं मिलेगा।

(ग) खंड (x) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(x) 01.11.1999 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवा कर रहा हो तो उसे स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर पर्वत तथा ईंधन भत्ता दिया जाएगा :

स्थान 1		दर 2
(1)	1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मडिकेरी नगर	वेतन का 2% अधिकतम रु.220/-
(2)	1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु.260/-
(3)	3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु.750/-

टिप्पणी :

(क) कम से कम 750 मीटर ऊंचाई पर स्थित स्थान जो उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हों और जिन तक पहुंचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पार करनी पड़ती हो, पर तैनात अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों के लिए देय दर पर पर्वत तथा ईंधन भत्ता दिया जाएगा।

(ख) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आने वाले किसी भी केन्द्र में फिलहाल दिए जाने वाले पर्वत और ईंधन भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे।

परंतु, जो अधिकारी 1 मई, 1989 के पूर्व ऐसे केन्द्र पर तैनात था और उस तारीख के बाद भी उसी केन्द्र पर तैनात रहता है उसे 30 अप्रैल, 1989 को मिल रहे भत्ते की प्रमात्रा संरक्षित की जाएगी और उसी वेतनमान में उस केन्द्र में उसके तैनात रहने तक प्रतिमाह अदा की जाएगी।

(vi) विनियम 24 में, उप विनियम (1) में -

(अ) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"क **चिकित्सा व्यय:-** 01.11.1999 को और उसके बाद से, अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी तथा स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अध्यधीन की जाएगी। इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाणपत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा :

सारणी	
श्रेणी 1.	प्रतिपूर्ति सीमा प्रतिवर्ष 2.
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु.2225/-
वरिष्ठ प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु.3000/-"

(आ) टिप्पणी (ii) के लिए निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

"(ii) चिकित्सा सहायता योजना के अधीन वर्ष 1999 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने, अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर, 1999 के लिए यथानुपात बकाई जाएगी।

(इ) खंड (ख) में, पैराग्राफ (iii) के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

(iv) 1, नवम्बर, 1999 को और उसके बाद से, उपर्युक्त पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित बीमारियों के अलावा, निम्नलिखित बीमारियां भी घरेलू इलाज हेतु पात्र होंगी। अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है:-

हेपेटाइटिस-बी, हीमोफीलिया और माइस्थेनियाग्रेविस।";

(vii) विनियम 25 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"25 आवास व्यवस्था

(1) अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा।

(2) किंतु, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 01.11.1999 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 2.5% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा।

परंतु, जहां ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहां बैंक द्वारा अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के 0.5% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

परंतु, जहां बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है वहां बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

(viii) विनियम 35 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"परंतु, यदि बीमारी की अतिरिक्त छुट्टी 29 जून, 1999 को या उसके पश्चात् ली जाती है तो बीमारी की अतिरिक्त छुट्टी के संराशीकरण की अनुमति विनियम 34 के उप-विनियम (2) के अनुसार दी जाएगी।

(ix) विनियम 36 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"36 प्रसूति छूट्टी

(1) 1 अप्रैल, 2000 को या उसके बाद से, प्रसूति छुट्टी के रूप में; एक बार में 6 महीने तक की छुट्टी मंजूर की जा सकती है जिसके अंतर्गत प्रसूति के बाद की अवधि या गर्भस्राव या गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के समय की छुट्टी भी शामिल है :

परंतु, ऐसी छुट्टी अधिकारी की संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिक से अधिक 12 महीने की होगी।

(2) निःसंतान महिला कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान एक बार, एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, एक वर्ष का होने तक, कानूनी रूप से गोद लेने के लिए भी छुट्टी मंजूर की जा सकती है जो निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन अधिकतम दो महीने की होगी :

(i) छुट्टी केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए मंजूर की जाएगी;

(ii) बच्चे को उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए गोद लिया जाना चाहिए और कर्मचारी को ऐसी छुट्टी मंजूर करने के लिए बैंक को दत्तक विलेख प्रस्तुत करना होगा।"

(x) विनियम 41 में, उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(4)(क) विराम भत्ता

01.06.2001 को और उसके बाद से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी स्तंभ 2 में वर्णित तदनुरूपी दरों से प्रतिदिन विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	मनुरूप 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	रु. 275.00	रु. 220.00	रु. 190.00
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	220.00	190.00	165.00

परंतु, यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम, किंतु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण

विराम भत्ते की संगणना के लिए 'प्रतिदिन' का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो 'प्रतिदिन' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो।

(ख) खान-पान खर्च

नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित श्रेणी/वेतनमान के अधिकारी को होटल के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो नीचे स्तंभ 2 में वर्णित तदनुरूपी स्टार श्रेणी के भारतीय पर्यटन विकास निगम (आइटीडीसी) होटलों में एकल आवास कमरे के प्रभारों तक सीमित होगी:

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान 1	ठहरने की पात्रता 2
वेतनमान VI और VII	4* होटल
वेतनमान IV और V	3* होटल
वेतनमान II और III	2* होटल (अवातानुकूलित)
वेतनमान I	1* होटल (अवातानुकूलित)

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त निर्धारित सीमाओं से अधिक अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

(ग) आवास खर्च

अधिकारी उपर्युक्त उप-विनियम 4 (क) में वर्णित दरों से दैनिक आवास खर्च का पात्र होगा।

(घ) यदि आवास की व्यवस्था बैंक की लागत पर या बैंक द्वारा की गयी है तो तीन चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा।

(ङ) यदि भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर या बैंक द्वारा निशुल्क की गई है तो आधा विराम भत्ता दिया जाएगा।

(च) यदि आवास और भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर या बैंक द्वारा की गई है तो चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा। लेकिन, यदि कोई अधिकारी वास्तविक रूप में हुए खर्च के संबंध में बिल प्रस्तुत किए बिना, घोषणा के आधार पर आवास खर्च का दावा करता है तो उसे चौथाई विराम भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(छ) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर विराम के प्रतिदिन के लिए रु.10/- का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।

(xi) विनियम 42 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) 01.04.1998 को और उसके बाद से, स्थानांतरित अधिकारी को मालगाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी :-

वेतन-सीमा	परिवार-सहित अधिकारी	परिवार-रहित अधिकारी
रु.7100/- से रु.9820 प्रतिमाह	3,000 किलोग्राम	1,500 किलोग्राम
रु.9820/- प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा माल डिब्बा	2,500 किलोग्राम

(xii) विनियम 46 में, उप-विनियम (2) में, दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जिस अधिकारी की सेवाएं 01.04.1998 से 31.10.1999 के दौरान समाप्त हो गई हैं उसके उपदान के प्रयोजन हेतु वेतन से तात्पर्य विनियम 4 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित अनुसार वेतनमान से है।"

जी. प. चिटणीस

(जी पी चिटनीस)

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
मुख्य कार्यालय
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून,2003

संख्याः पीएसबी(ओ) एसआर/2003. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से पीएसबी(ओ) एसआर-1982 के विनियम 38 में एतद्द्वारा आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:

1.संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1). ये विनियम पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) अधिनियम,2003 कहलाएंगे।

(2). ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2.पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी सेवा अधिनियम,1982 के विनियम 38 के दूसरे अनुच्छेद के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात:

"परन्तु जो अधिकारी दिनांक 01.04.2001 को या उसके बाद पीएसबी(ओ) एसआर-1982 के विनियमन-20 में उप-विनियमन(2) के अनुसार उचित नोटिस देकर सेवा से त्यागपत्र देते हैं, उन्हें सेवा समाप्ति की तिथि को उनके खाते में जमा सांधिकार छुट्टियों की आधी परन्तु अधिकतम 120 दिनों तक की परिलब्धियों के समान राशि का भुगतान किया जाए।"

(सरूप सिंह)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2003

संख्या : यू-16/53/1/2002/गोवा/पी.टी.एम.आर./वि.शा.2:कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा गोवा प्रदेश व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच करने और मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डॉ. पी.वी.उसगांवकर की सेवाएँ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 17.05.2003 से 16.05.2004 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूँ ।

सु० सिंह

(डा. (श्रीमती) सुभाष सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2003

इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या यू-16/53/2001-चि.शाखा-2(केरल) दिनांक 7.2.2003 के अंतर्गत डॉ. एल.जे. मुलनथानम की सेवाएं रद्द करते हुये कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए अथवा पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण मण्डल) बंगलौर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

क्र.सं.	डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
	डा.एस.एल. नवीन	कार्यग्रहण करने की अवधि से एक वर्ष हेतु	अलेप्पी व कोट्टम

सु० सिंह

(डा. (श्रीमती) सुभाष सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

1. सं. एम.सी.आई. नई दिल्ली.....2003

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम्, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 20(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्क्रीनिंग टेस्ट, विनियम 2002 में संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:–

1. (क) ये विनियम स्क्रीनिंक टेस्ट (संशोधन) विनियम, 2003 कहे जायेगें।

(ख) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगें।

2. स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002 में, विनियम 10 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थपित किए जायेगें:–

"10 अभ्यर्थी को तीनों प्रश्न–पत्र एक ही प्रयास में उत्तीर्ण करने होंगे। फिर भी, इस परीक्षा को देने की संख्या में किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।"

लेफ्टिनेन्ट कर्नल (डॉ.) ए.आर.एन. सेटलवद (रिटायर्ड)
सचिव

STATE BANK OF INDIA

ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP

Mumbai, the 17th June 2003

SBD. No 2/2003—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in conultation with Govt. of India and Reserve Bank of India, nominated Shri S. Suryanarayana, H. No. I-11-212/3, Flat No. 102, Lane No. 2, Street No. 4, Gurumurthy Lane, Annapurna's Prabhath Kusum Complex, besides Prakash Nagar Telephone Exchange, Begumpet, Hyderabad-500016, as a Director on the Board of Directors of State Bank of Hyderabad for a period of three years with effect from 20th June 2003 to 19th June 2006 (both days inclusive) in place of Dr. Sushila Rao.

A. K. PURWAR
Chairman

SBD. No. 3/2003—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Govt. of India, and Reserve Bank of India nominated Dr. M. Mahadeva, Associate Professor, Institute of Social & Economic Change (ISEC), Bangalore-560072, as a Director on the Board of Directors of State Bank of Mysore for a period of three years with effect from 20th June 2003 to 19th June 2006 (both days inclusive) in place of Dr. K. P. Rama Prasanna.

A. K. PURWAR
Chairman

SBD. No. 4/2003—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Govt. of India and Reserve Bank of India, nominated Shri Nanu R. Mallya, No. 5, Sirur Park Road, 4th Cross, Malleswaram, Bangalore-560003, as a director on the Board of Directors of State Bank of Mysore for a period of three years with effect from 20th June 2003 to 19th June 2006 (both days inclusive) in place of Shri B. P. Rao.

A. K. PURWAR
Chairman

SBD.No. 5 / 2003

It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with Govt. of India and Reserve Bank of India, nominated Shri V. Vinod Kamath, Flat No.A-1, Indradhanus Apartment, T.D. Road, Kochi - 682 035, as a director on the Board of Directors of State Bank of Travancore for a period of three years with effect from 20th June 2003 to 19th June 2006 (both days inclusive) in place of Shri A.S.N. Moorthy.

(A.K. PURWAR)
CHAIRMAN

SBD.No. 6 / 2003

It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with Govt. of India and Reserve Bank of India, nominated Prof. V.N. Rajasekharan Pillai, Executive Director, National Assessment & Accreditation Council (NAAC), 2/4, Dr.Rajkumar Road, P.O. Box No. 1075, Rajaji Nagar, Bangalore - 560 010, as a director on the Board of Directors of State Bank of Travancore for a period of three years with effect from 20th June 2003 to 19th June 2006 (both days inclusive) in place of Shri V.K. Madhava Mohan.

(A.K. PURWAR)
CHAIRMAN

CENTRAL BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE

MUMBAI-400 021.

NO: CO:PRS:IRP:2003-04: 212 In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the **Central Bank Of India** in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend **Central Bank Of India (Officers') Service Regulations, 1979**, namely:-

1. (1) These regulations may be called the **Central Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2003.**

(2) Save as otherwise provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the **Central Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979** -

(i) in regulation 4, for sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(3) With effect from 1st April, 1998, the scales of pay specified against each grade shall be as under :-

(a) Top Executive Grade :

Scale VII Rs.19340-$\underset{2}{420}$-20180-$\underset{1}{520}$-20700-$\underset{1}{600}$-21300

Scale VI Rs.17660-$\underset{4}{420}$-19340

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs.16140-$\underset{4}{380}$-17660

Scale IV Rs.13900-$\underset{1}{340}$-14240-$\underset{5}{380}$-16140

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs.12540-$\underset{5}{340}$-14240-$\underset{2}{380}$-15000

Scale II Rs.9820-$\underset{11}{340}$-13560

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs.7100-$\underset{16}{340}$-12540

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31.3.1998 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1.4.1998 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(4) Nothing in sub-regulations (1), (2) and (3) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.";

(ii) for regulation 5, the following regulation shall be substituted namely:-

"5. Increments.-(1) Subject to the provisions of sub-regulation (3) of Regulation4, on and from 1.4.1998, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :-

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs.340/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.380/- for officers in the last stage of Scale III.

Provided that on and from 1.11.1994 officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

Note:

Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities of posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of CAIIB/Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Part II/ Certified Associate of the Indian Institute of Bankers examination.

Explanation :

(a) In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not

received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

(b) On and from 1.11.1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under:-

Those who have passed : only Part I of CAIIB	(i) Rs.100/- p.m. after one year of which Rs.75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed : both Parts of CAIIB	(i) Rs.100/- p.m. after one year, of which Rs.75/- shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs.250/- p.m. after two years, of which Rs.200/- shall rank for superannuation benefits.

(c) On and from 1.11.1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under :-

Those who have passed : only Part I of CAIIB	(i) Rs.120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed : both parts of CAIIB	(i) Rs.120/- p.m.. after one year on reaching top of the scale (ii) Rs.300/- p.m. after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of Regulation 5(3)(b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) On and from 1.11.1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under :-

Those who have passed JAIIB or Part I of CAIIB:	(i) Rs.150/- p.m. after one year on reaching max. of the scale
Those who have passed JAIIB and CAIIB or both parts of CAIIB:	(i) Rs.150/- p.m. after one year on reaching max. of the scale (ii) Rs.360/-p.m. after two years on reaching max. of the scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in sub-regulation (1)(b) shall draw Professional Qualification Pay after one/two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales."

Note :

(i) If an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing JAIIB/CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) On and from 1.11.1994 Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.

3(a) All officers who are in the bank's permanent service as on 1st November, 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November, 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

Note :

There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November, 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service:

Increment Component	DA as on 1.11.1993	Total F.P.A. payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

(c) On and from 1st November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as given hereunder :-

Increment Component	DA as on 1.11.1997	Total F.P.P. payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

Note:

(i). Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (c) in clause (b) and (c) shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance./Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of Regulation 4 is earned.

(iii) On and from 1st November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) under sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any instalment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st November, 1999 it shall

be released to the officer on and from this date and second instalment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on 1st November, 2000.

(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(d) An officer who has earned the advance increment as in (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in (b) or (c) above, one year after reaching the maximum of the scale.";

(iii) In regulation 21,after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

"(3) On and from 1.4.1998, Dearness Allowance Scheme shall be as under :-

(a) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(b) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :-

(i) 0.24% of 'pay' upto Rs.7100/- plus,
(ii) 0.20% of 'pay' above Rs.7100/- to Rs.11300/- plus,
(iii) 0.12% of 'pay' above Rs.11300/- to Rs.12025/- plus,
(iv) 0.06% of 'pay' above Rs.12025/-

Note:

(A) 'Pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance/Professional Qualification Pay as specified in Explanation (c) and (j) to sub-regulation (2) of Regulation 5 shall rank for dearness allowance.";

(iv) for Regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely,

"22. **House Rent Allowance.**- (1)(a) -On and from 1st November, 1994 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to

4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank he shall be eligible on and from 1.11.1992 for House Rent Allowance at the following rates:-

Column I	Column II
Where the place of work is in	**HRA payable shall be**
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	13% of the pay p.m.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay p.m.
(iii) Area II and State Capitals amd Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	10 1/2% of the pay p.m.
(iv) Area III	9 1/2% of the pay p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 4% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above, whichever is lower.

(2)(a) On and from 1st November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank he shall be eligible on and from 1.11.1999 for House Rent Allowance at the following rates:-

Column I	Column II
Where the place of work is in	**HRA payable shall be**
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	9% of the pay p.m.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	8% of the pay p.m.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above	7% of the pay p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as [illegible] Column II above, whichever is lower.

Note (i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.

(ii) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from 1.11.1994.

(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (1)(b) and 2(b) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below:-

A

The aggregate of :-

i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and

ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation .- (1) For the purpose of this Regulation "standard rent" means :-

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government:

(b) Where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (A) above, whichever is lower.

(2) In this Regulation, for the purpose of sub-regulation (1), Area I, Area II, and Area III shall mean as under:-

Area I - Places with a population of more than 12 lakhs.

Area II - All Cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh or more.

Area III - All places not included in Area I and Area II.

(3) For the purpose of sub-regulation (2) of this Regulation and Regulation 23, Area I and Area II shall mean as under :-

Area I - Places with a population of more than 12 lakhs

Area II - All places not included in Area - I.";

(v) in regulation 23,

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :-

"(i) On and from 1.11.1999, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable :-

Places 1	Rates 2
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.375/- per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.250/- per month.

";

(b) for clause (v) and (vi), the following clauses shall be substituted, namely :-

"(v) on and from 1.11.1999, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay draw a deputation allowance of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall received a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.500/- per month.

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at 4% of his pay subject to a maximum Rs.500/- per month.";

(vi) On and from 1.11.1999 if he is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay , pro-rata for the period for which he officiates. Officiating allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund/ Pension and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the officiating

allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.";

(c) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely :-

"(x) On and from 1.11.1999, if the officer is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, he shall receive a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof:-

Place 1	Rate 2
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.220/-
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.260/-
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.750/-

Note :-

(a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn.

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as at 30th April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.";

(vi) in Regulation 24, in sub-regulation (1),-

(A) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

"(a) **Medical Expenses.-** On and from 1.11.1999 reimbursement of medical expenses to an officer in the grade specified in column 1 of

the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :-

Table	
Grade **1**	**Reimbursement limit p.a.** **2**
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.2225/-
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.3000/-

(B) for Note (ii), the following note shall be substituted, namely :-

"(ii) For the year 1999 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e. November and December, 1999.";

(C) in clause (b), after para (iii) the following para shall be inserted namely:-

"(iv) On and from 1st November, 1999 in addition to diseases mentioned in para (iii) above, the following diseases shall also become eligible for domiciliary treatment, other conditions remaining unchanged:-

Hepatitis-B, Haemophilia and Myaestheniagravis.";

(vii) for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

"25. **Residential Accommodation.**- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from 1st November, 1999, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.5% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him.

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.";

(viii) in regulation 35, the following proviso shall be inserted, namely;-

"Provided that in case of additional sick leave availed on or after 29th June, 1999 commutation of additional sick leave may be allowed in accordance with sub-regulation (2) of Regulation 34.";

(ix) for Regulation 36, the following regulation shall be substituted, namely:-

"36. **Maternity Leave.**- (1) On and from 1st day of April, 2000, leave upto a period of 6 months at a time may be granted by way of Maternity Leave including in respect of post-natal period or at the time of miscarriage or abortion or medical termination of pregnancy:

Provided that not more than 12 months of such leave shall be available during the entire period of service of the officer.

(2) Leave may also be granted once during service to a childless female employee for legally adopting a child which is below one year of age till it reaches the age of one year, subject to a maximum period of two months on the following terms and conditions:-

(i) Leave will be granted for adoption of only one child.

(ii) The adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave.";

(x) in regulation 41, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4)(a) **Halting Allowance.**- On and from 1st day of June, 2001 an officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the Table below shall be entitled to

'per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in column 2 thereof :

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV & above	Rs. 275.00	Rs. 220.00	Rs. 190.00
Officers in Scale I/II/III	220.00	190.00	165.00

Provided that where the total period of absence is less than 8 hours but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation :

For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

(b) **Lodging Expenses.-** An officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the Table below may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC hotels of the corresponding star category set out in column 2 below:

Grades/Scales of officers 1	Eligibility to stay 2
Scale VI & VII	4* Hotel
Scale IV & V	3* Hotel
Scale II & III	2* Hotel (Non AC)
Scale I	1* Hotel (Non-AC)

The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed above in accordance with the guidelines of the Government.

(c) **Boarding Expenses.-** An officer shall be entitled to per diem boarding expenses at the rates set out in sub-regulation 4 (a) above.

(d) Where lodging is provided at bank's cost or arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where boarding is provided at bank's cost or arranged through the bank free of cost, ½ of the Halting Allowance will be admissible.

(f) Where lodging and boarding are provided at bank's cost or arranged through the bank free of cost, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible:

Provided that, in the case of an officer claiming boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.

(g) A supplementary diem allowance of Rs.10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers".

(xi) in regulation 42, for sub-regulation (2), the following shall be substituted namely:-

"(2) On and from the 1st day of April, 1998 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits:-

Pay Range	**Where an officer has family**	**Where an officer has no family**
Rs.7100 per month to Rs.9820 per month	3000 kgs	1500 kgs
Rs.9821 per month and above	Full wagon	2500 kgs

(xii) in regulation 46, in sub-regulation (2), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that pay for the purpose of Gratuity of an officer who ceased to be in service during the period 1.4.1998 to 31.10.1999 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (2) of Regulations 4"

(G.P. CHITNIS)
Dy.General Manager (Prs)

Punjab & Sind Bank
Head office
New Delhi

New Delhi, dated June 13, 2003

No. PSB/OSR/2003. In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Punjab & Sind Bank Officers' Service Regulations, 1982 namely:-

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:**

   (1) These Regulations may be called Punjab & Sind Bank Officers' Service (Amendment) Regulations, 2003.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab & Sind Bank Officers' Service Regulations, 1982 for regulation 38 after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that where an officer leaves or discontinues his services by resignation on or after 1st April, 2001 after giving due notice under sub-regulation 2 of Regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of the privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to maximum of 120 days".

(Saroop Singh)
Deputy General Manager (Personnel)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th May 2003

No.U-16/53/2002/(Goa):- In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr. P.S. Usgaonkar, PTMR to function as Medical Authority for Goa Region, for the period of one year from 17.5.2003 to 16.5.2004 for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (WZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

(DR.(MRS.)S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER

New Delhi, the 29th May 2003

In continuation of this office earlier notification no. U-16/53/2001-Med.II(Kerala) dated 7.2.2003, the services of Doctor L.J. Mulanthanam is hereby terminated and further in pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI(General) Regulation 1950 and such power further delegated to me vide DG's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the following doctor to function as medical authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a fil time medical referee joins, whichever is earlier, for centre as stated below for areas to be allocated by RIMC(SZ) Bangalore for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificate to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Name of Doctor	Period	Centre
Dr. S.L. Naveen	For one year from the date of joining	Alleppy and Kottayam

S Singh

(DR.(MRS.)S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER.

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

New Delhi the ....., 2003

1. No. MCI- - In exercise of the powers conferred by section 20A, read with section 33, of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Screening Test Regulations, 2002, namely:-

1. (a) These Regulations may be called the Screening Test (Amendment) Regulations, 2003.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Screening Test Regulations, 2002, for regulation 10, the following regulation shall be substituted, namely:-

"10. A candidate shall have to pass all the three papers in the same attempt. However there shall not be any restriction on the number of attempts to appear in the test."

Lt. Col. (Dr.) A.R.N. Setalvad (Retd.)
Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003